

15291
07.01.2022

Non Judicial



**Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government**



Date : 07/01/2022

Certificate No. G0G2022A1302



Stamp Duty Paid : ₹ 12281000
(Rs. Only)

GRN No. 85986833



Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Than Singh

H.No/Floor : Na

Sector/Ward : Na

LandMark : Na

City/Village : Barampur

District : Gurgaon

State : Haryana

Phone: 98*****46



Buyer / Second Party Detail

Name : Fours developers pvt ltd

H.No/Floor : lx63

Sector/Ward : Na

LandMark : Sector 47

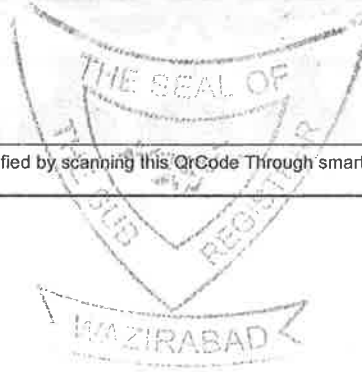
City/Village: Gurgaon

District : Gurgaon

State : Haryana

Phone : 98*****46

Purpose : Sale Deed



The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

किस्म वसीका	:	बयनामा
मालियती	:	मुबलिंग 17,54,37,500 / रुपये
मौजा	:	उल्हावास
किस्म	:	चाही
कुल रकबा	:	10 कनाल 4½ सरसाई
स्टाम्प	:	1,22,81,000 / रुपये

CertificateNo&Date : G0G2022A1302

मै, श्री थानसिंह (आधार नम्बर 9626 0440 8669) पुत्र श्री गंगाराम पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी गांव बैरमपुर, तहसील वजीराबाद जिला गुरुग्राम का हूं।

प्रलेख नः15291

दिनांक:07-01-2022

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम SALE URBAN AREA WITHIN MC	
तहसील/सब-तहसील वजीराबाद	गांव/शहर उल्लावास स्थित Ullahwas
शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के अन्दर	अन्य क्षेत्र
पता : Uallawas	
भवन का विवरण	
भूमि का विवरण	
कृषि वाली	10 Kanat
धन संबंधी विवरण	
राशि 175437504 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 12280625 रुपये
स्टाम्प नं - g0g2022a1302	स्टाम्प की राशि 12281000 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50000 रुपये	FEChallan:85987881
	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By: Anil Kumar Adv	Service Charge 200

यह प्रलेख आज दिनांक 07-01-2022 दिन शुक्रवार समय 5 12:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी थाप सिंह पुत्र रामराम निवास 'आनन्दपुर' वजीराबाद तहसील में पंजीकृत किया गया।

Thank you

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (वजीराबाद)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

थाप सिंह

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अपिसूचित है इसलिए दरतावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अपिसूचित नहीं है इसलिए दरतावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र को आवश्यकता नहीं है।

Thank you

दिनांक 07-01-2022

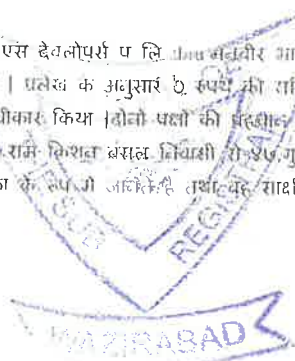
थाप सिंह

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (वजीराबाद)

उपरोक्त क्रेताव श्री/श्रीमती/कुमारी एएस देवलोपर प लि. जवाहर नगर, वजीराबाद निवासी है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 10 रुपये की राशि देता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अधिकतम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की सहमति श्री/श्रीमती/कुमारी थाप सिंह अधिवक्ता पिता --- जीवारी गुरुग्राम व श्री/श्रीमती/कुमारी पंकज बराल पिता राम विश्व बंसल निवासी रोड, गुरुग्राम ने की। साक्षी नं:1 को हम नम्रदार/अधिवक्ता के रूप में जस्टिस है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

दिनांक 07-01-2022

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (वजीराबाद)



जो कि मैं अराजी जरई वाका मौजा उल्हावास, तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम खेवट/खाता नम्बर 109/111 मिन, मु0 नम्बर 27, कीला नम्बर 12/2(1-7), 13/2(0-12), 18(2-2), 19/1(6-16), 19/2(1-4), 20(8-0), किता 6 रकबा 20 कनाल 1 मरले अराजी का 1/2 भाग बकादर रकबा 10 कनाल 4½ सरसाई अराजी का मालिक व काबिज बरवे बरवे फर्द जमाबन्दी साल 2017-18 की रूह से है रकबाबाला हर किस्म के भार से पाक व साफ है। अब से पहले किसी अन्य को किसी दीगर तरीके से बयनामा, पटटानामा, रहननामा आदि ना किया है। और उपरोक्त रकबे पर किसी प्रकार का कोई स्टै या मुकदमाबाजी ना है, और रकबाबाला सरकार द्वारा अधिग्रहण ना किया गया है, ना ही इसकी बाबत कोई नोटिस वगैरा प्राप्त हुआ है। मुन्तकिल करने का पूरा अधिकार हासिल है। ओर विक्रेता पक्ष ने उपरोक्त अराजी मे से खेवट/खाता नम्बर 109/111 मिन, मु0 नम्बर 27, कीला नम्बर 12/2(1-7), 13/2(0-12), 18(2-2), 19/1(6-16), 19/2(1-4), का पटटानामा किया है ओर विक्रेताओ को पटटाग्रेहता से उपरोक्त रकबे को खाली कराने की जिम्मेवारी होगी। बराये अखराजात खुद व खर्चा खानगी के लिए धन की जरूरत है। अतः अब मैंने अपने उपरोक्त रकबा 10 कनाल 4½ सरसाई अराजी को बिलऐवज मुबलिंग 17,54,37,500 /—रुपये (सत्रह करोड चव्वन लाख सैतीस हजार पांच सौ रुपये) बदस्तः M/s. 4S Developers Pvt. Ltd. (CIN No. U74999HR2016PTC065701), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013, having its registered office at Retail Unit IX-63, First Floor, ILD Trade Centre, Sector-47 Gurgaon-122001 and its corporate office at 2nd Floor, Hub-66, Sector 66, Gurgaon-122018 Haryana (PAN-AAGCB8963J), Represented by its authorized Mr. Manvir Bhamla (Adhar No. 6950 8005 1982) S/o Sh. Ram Dhan R/o DD-1559, Dabua Colony, Faridabad Haryana को बय कर दिया है। कुल जरे बय बैरमपुर मे से निम्न प्रकार वसूल पाए—

मुबलिंग	चैक/डी डी नम्बर	दिनांक	प्राप्तकर्ता
8,14,53,125 /रुपये	516954	07.01.2022	श्री थानसिंह
9,39,84,375 /रुपये	001267	05.05.2022	श्री थानसिंह

Manvir Bhamla

Reg. No.

Reg. Year

Book No.

15291

2021-2022

1



विक्रेता



क्रेता



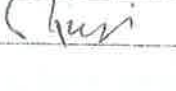
गवाह

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

विक्रेता :- थान सिंह 

क्रेता :- श्री जसवीर भास MOTHER एस देवलोपर प
लि 

गवाह 1 :- राज सिंह अधिकारी 

गवाह 2 :- पंकज बंसल 

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 15291 आज दिनांक 07-01-2022 को यही जे 1 जिल्द नं 94 के पृष्ठ नं 113.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त यही संख्या 1 जिल्द न 2966 के पृष्ठ संख्या 66 से 70 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है।

दिनांक 07-01-2022

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (वजीराबाद)



के द्वारा रूबरू गवाहन पहले ही प्राप्त कर लिए हैं और हमने मुबलिग 9,39,84,375/रूपये का पी डी सी चैक बकाया है, ओर पी डी चैक विक्रेता के खाते में अदा होने के बाद लेना बकाया बाजिम्मा खरीदार के ना रहेगा। खरीदार उक्त विक्रीत रकबे का पूर्ण रूप से मालिक बना दिया हैं। दाखिल खारिज कागजात माल में दर्ज व मंजूर करा दुंगा वरना खरीदार स्वयं करा लेवे, कोई उजर ना होगा। आज तक का कोई नुक्स विक्रीत रकबा में निकलेगा तो मैं व मेरे वारिसान जिम्मेवार व देनदार रहेंगे और आज के बाद खरीदार स्वयं जिम्मेवार होंगा। खर्चा बयनामा तमाम खरीदार ने स्वयं वहन किया है। अब इस बयशुदा अराजी से मेरा व मेरे के किसी भी साझेदार या उसके वारिस का कोई भी हक व वास्ता नहीं है और उपरोक्त अराजी मैं दिये गये चैक अगर किसी कारण बाउंस होते हैं तो बयनामा केन्सील समझा जायेगा। और खरीदार को रकबे पर कोई अधिकार नहीं रहेगा तथा विक्रेताओं को उपरोक्त रकबे पर पूर्ण मालिक व काबिज का अधिकार हो जायेगा वह विक्रेत रकबे को जैसे चाहे इस्तेमाल/बयनामा करे पट्टानामा, ईकरारनामा करे इसकी बाबत खरीदार को कोई ऐतराज ना होगा। अतः यह बयनामा सुन समझकर बारजामन्दी खुद के तहरीर कर दिया कि सनद रहे वदत जरूरत काम आवे। दिनांक-

बाया - श्री धानसिंह



Ram Singh
Advocate
Distt. Court, Gurugram

For 4S Developers Pvt. Ltd.

खरीदार खुद

Authorised Signatory
M/s. 4S Developers Pvt. Ltd.
Represented by its authorized
Mr. Manvir Bhamla

गवाह:2

(Pankaj Bansal)
S/o Sh. Ravi Krishan
305 media House
Sector - 47 Gurgaon

